तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज T.S.No. 140/20 लालमोहन / कोठी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए

10.3.22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस T.R. प्रार्थना पत्र को सुना गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 07.4.22 को पेश हो।

प्र०

07.4.22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस T.R. सुनी गई। पक्षकारान में खसरा नं० 1115 रकबा 1.06 हे०, ग्राम पावटा का लेकर आपसी विवाद है। जिसमें वादी अपने प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त खसरा नं० 1115 की भूमि जो ख० नं० 1114 से लगती हुई है, के रकबा 0.40 हे०, को साबिक ख० नं० 1118 की भूमि बताकर दावा लेकर आये है, जबकि अन्यभागण ख० नं० 1115 की भूमि को स्वयं की खातेदारी की भूमि रिकार्ड अनुसार कहते है, अर्थात दोनों पक्षों में जो विवाद है उसका अंतिम निपटारा साक्ष्य सबूत आने के बाद दावे के निर्णय में ही होना संभव है ऐसी स्थिति में दावे के निर्णय तक पक्षकारान में आगे कोई विवाद ना हो इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर प्रकरण में विवादित भूमि ख० नं० 1115 रकबा 1.06 हे० ग्राम पावटा तहसील बहीड़मेर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ता फैसला दावा बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली पोस्टल शुमार होकर नस्थ हो बाद तामील शामिल मुलवाद रहे।

प्र०

उप जिला कलेक्टर
बजीतपुर (उ.प्र.)